कार्यालय नगर पंचायत, रामपुर कारखाना, देवरिया।

पत्रांक / /नि0 सूचना –2014–15 दिनांक 20 मई 2014

अल्प कालिक निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नगरीय जल निकासी योजना से प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रामपुर कारखाना, देवरिया में निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद /लो0 नि0 वि0 / आर0 ई0 एस0/जिला पंचायत तथा पंजीकृत फर्मो से जो वर्ष 2014–15 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत हों, ठेकेदारों/पंजीकृत फर्मो से दिनांक 27–05–2014 को दिन में 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा/नगर पंचायत रामपुर कारखाना कार्यालय पर आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन अध्यक्ष नगर पंचायत रामुपर कारखाना के समक्ष निविदादाताओं के उपस्थिति में अपरान्हः 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत रामपुर कारखाना कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 26–05–2014 को समय 11.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अग्रिम जमानत के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि एन0 एस0 सी0/ के0 वी0 पी0/एफ0डी0आर0 आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पद नाम से बन्धक हो, संलग्न कर उसका निविदा प्रपत्र पर उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अन्य नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत कार्यालय से की जा सकती है। इस विज्ञापन को बेवसाइट **WWW.Deoria.NIC.Com** पर भी देखा जा सकता है।

नगरीय जल निकारी योजना

क्र0सं0	कार्य /आपूर्ति का विवरण	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि
1	समसू हसन के मकान से छेदी राजभर के मकान होते हुये शकील के मकान तक नाली निर्माण कार्य वार्ड नं0–07	4,02,700–00	40,270–00	400–00	30 दिन
2	प्रेम के मकान से शम्भू के घर होते हुये मेन नाले तक नाली निर्माण कार्य वार्ड नं0–01	4,46,700–00	44,670–00	450–00	30 दिन
3	जगदीश के मकान से मेन नाले तक नाली निर्माण कार्य वार्ड नं0–01	1,89,700–00	18,970–00	200–00	30 दिन
4	दिलीप ठठेरा के मकान से मेन रोड तक नाली रिपेयर कार्य वार्ड नं0–02	37,600–00	3,760–00	100–00	30 दिन
5	विनोद के घर से मेन नाले तक नाली निर्माण कार्य वार्ड नं0–02	24,800–	2,480–00	100–00	30 दिन
6	बब्लू के घर से हरिओम के घर होते हुये शमसुदीन अहमद के घर तक नाली निर्माण कार्य वार्ड नं0–04	1,48,600–00	14,860–00	200–00	30 दिन
7	जोकर चौधरी के मकान से हरिराम यादव के मकान तक नाली निर्माण कार्य वार्ड नं0–02	23,100–00	2,310–00	100–00	30 दिन
8	विनोद गुप्ता के मकान से मेन नाले तक नाली निर्माण कार्य वार्ड नं0–03	1,65,800–00	16,580–00	200–00	30 दिन

नियम एवं शर्त :—

1— निविदा दाता को जमानत की 10 प्रतिशत धनराशि निविदा/कोटेशन पपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें किसान विकास पत्र, एन0एस0सी0,एफ0 डी0 आर0 अथवा नकद अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना के पदनाम से प्लेज हो, जमा करना होगा। सामग्री आपूर्ति हेतु टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात नियमानुसार जमानत धनराशि जमा करना होगा।

2— एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सक्षम अधिकारी/अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।

3— निविदादाता दाता को अनिवार्य रूप से अपना अद्यतन जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त चरित्र, हैसियत प्रमाण प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4— निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार को नियमानुसार कार्य सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार अपने व्यय से कोषागार से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध/एकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।

5— ठेकेदार को निर्माण कार्य नियत समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, अन्यथा 100—00 रूपये प्रति हजार प्रति दिन की दर से ठेकेदार को विलम्ब शुल्क देना होगा, अर्थात ठेकेदार के बिल से उक्त विलम्ब शुल्क/जुर्माना की धनराशि काट ली जायेगी।

6— 100—00 (एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र तैयार कर किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपना पासपोर्ट साईज का फोटो प्रमाणित करा कर निविदा/कोटेशन प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।

7— निविदा के समय विवाद की दशा में अध्यक्ष नगर पंचायत रामपुर कारखाना का ही निर्णय मान्य होगा।

8— किसी भी फर्म/निविदादाता द्वारा या उसके सहयोगी द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान डालने जैसे अभदत्ता, दुर्व्यवहार आदि करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को काली सूची में करते हुये प्रथम सूचना सम्बन्धित थाना में अंकित कराया जायेगा।

9— ठकेदार/फर्म को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा, किसी भी प्रकार की त्रूटि पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।

10— किसी भी प्रकार का (कार्य स्थल) विवाद उत्पन होने पर जिला प्रशासन/नगर पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा।

11— ठेकेदार को निविदा स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूरा करते हुये कार्य करना होगा। अन्यथा ठेका निरस्त करते हुये जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

12 जमानत की धनराशि छः माह के पश्चात यदि कार्य सन्तोष जनक पाया गया तो वापस कर दी जायेगी।

13— निविदादाता को अपने निविदा में स्पष्ट रूप से कम या अधिक प्रतिशत में देनी होगी। मदवार अलग अलग निविदा में दरें मान्य होगी।

14— उपरोक्त निर्माण कार्य का मदवार अलग–अलग निविदा मान्य होगी।

15— कार्य में घट बढ होने पर अलग से कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।

16— शेष जानकारी किसी भी दिन कार्य दिवस मे कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

17— निविदा सूचना देवरिया की वेबसाईट **W.W.W.NIC Deoria. In.** पर भी देखा जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

पत्रांक 976(2)/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

1— जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।

2— प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, देवरिया को इस आशय से प्रेषित की उक्त अल्पकालिक निविदा/~~कोटेशन~~ को अपने स्तर से वेबसाईट **W.W.W.NIC Deoria. In.** पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3— उप जिलाधिकारी सदर, देवरिया।

4— मा0 समस्त अधिशासी अधिशासी गण नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें जनपद देवरिया।

5— नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु। श्री टाइम्स

6— सम्पादक स्वतंत्र भारत ..., को इसी आशय से प्रेषित की अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

राधिका

अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
देवरिया।

राधिका देवी
अध्यक्ष
नगर पंचायत रामपुर कारखाना
जनपद – देवरिया